

सेवा में ,

श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जनपद पंचायत सागर

विषय :- इंदिरा आवास योजना वर्ष ..... के अंतर्गत नवीन कुटीर निर्माण की स्वीकृति वापत् ।

—00—

महोदय ,

निवेदन है कि आवेदक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति /महिला है। आवेदक /आवेदिका के पास रहने के लिए वर्तमान में कोई मकान नहीं है । कृपया मुझे इन्द्रा आवास योजना के अंतर्गत कुटीर निर्माण हेतु अनुदान प्रदान करने की कृपा करे ताकि कुटीर निर्माण कर अपने परिवार सहित उसमें निवास कर सकें । मेरा व्यक्तिगत विवरण निम्नानुसार है :-

1. आवेदक /आवेदिका का नाम .....
2. पिता /पति का नाम .....
3. जाति (वर्ग,अजा/अजजा/पि/सा.) .....
4. निवासी ग्राम ..... ग्राम पंचायत .....
5. आवास योजना के तहत भूखण्ड आवंटित ग्राम .....
6. भूखण्ड विवरण खसरा क्र.....रकबा .....प्लॉट क्र.....
7. गरीबी रेखा क्र. व वार्षिक आय घयन क्र..... वार्षिक आय.....
8. क्या आवंटित भूखण्ड का कब्जा मीके हाँ /नहीं.....  
पर ले लिया है
9. आवंटित भूखण्ड पर क्या कोई निर्माण निर्माण का दिनांक .....  
किया है यदि हाँ तो उसका दिनांक व निर्माण का विवरण .....
10. क्या आवेदक /आवेदिका ने पट्टे की नकल आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दी है .....

दिनांक .....  
गवाह 1.  
2.

आवेदक के हस्ताक्षर  
( नाम .....

#### घोषणा पत्र

मैं ..... पिता/पति ..... जाति .....  
निवासी ..... ग्राम पंचायत ..... यह घोषणा करता /करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र के कालम क्रं (1) से (10) तक दर्शायी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है । मुझे आवंटित प्लॉट किसी भी निगरानी में निरस्त नहीं किया गया है । उपरोक्त जानकारी के गलत पाये जाने पर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी ।

गवाह :- 1.  
2.

आवेदक के हस्ताक्षर  
( नाम .....

## ग्राम पंचायत एवं पटवारी की सत्यापन रिपोर्ट

दिनांक .....  
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमति .....  
पिता/पति श्री ..... जाति ..... ग्राम पंचायत .....  
के ग्राम ..... के निवासी हैं ।

1. आवेदक को ग्राम ..... पटवारी हल्का नंबर ..... में खसरा कमांक ..... प्लॉट कमांक ..... में रकबा ..... का कब्जा मुख्यमंत्री आवास योजना(अपना घर) के तहत नवीन आवास निर्माण हेतु मौका पर आवेदक को सौंपा जा चुका है ।
2. यह भी सत्यापित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका का पट्टा अपील निगरानी में निरस्त नहीं किया गया है ।
3. उक्त दर्शित भूमि नवीन आवास के निर्माण हेतु पर्याप्त है । तथा हितग्राही वर्तमान में आवासहीन होने के कारण कुटीर अनुदान प्राप्त करने व उपर उल्लेखित भूमि पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कुटीर निर्माण करने की पात्रता रखता है ।
4. वर्तमान में उपरोक्त भूमि/प्लॉट पर भवन निर्माण नहीं किया गया है ।

सरपंच  
ग्राम पंचायत.....

सचिव  
ग्राम पंचायत.....

पटवारी  
हल्का कमांक.....

### पात्रता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति .....  
आत्मज श्री .....जाति(बर्ग-अजा/अजजा/पिव/सा0).....  
ग्राम..... ग्राम पंचायत ..... के निवासी हैं । इन्हें मुख्यमंत्री  
आवास योजना के तहत नवीन कुटीर निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृति वावत मेरे द्वारा  
मौका पर पात्रता संबंधी परीक्षण किया गया है जिसमें निम्न कारणों से हितग्राही  
पात्रता की श्रेणी में आता है ।

1. यहकि हितग्राही आवासहीन है, उसके पास रहने के लिये पर्याप्त आवास नहीं है ।
2. यहकि हितग्राही द्वारा प्रस्तुत पट्टे अथवा निजी भूमि जहां वह कुटीर बनाना चाहता है, उसके स्वामित्व में है एवं इस पट्टे पर कोई विवाद नहीं है ।
3. यहकि हितग्राही का नाम गरीबी रेखा की सूची वर्ष 1997-98 में चयन क्रमांक ..... पर अंकित है ।
4. यहकि हितग्राही अथवा उसके परिवार को पूर्व में आवास निर्माण हेतु जनपद पंचायत से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है । और न ही शासन की अन्य किसी योजना एवं विभाग से कुटीर निर्माण हेतु कोई राशि प्राप्त हुई है ।
5. यहकि हितग्राही का नाम कुटीर स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत..... की ग्रामसभा ..... से अनुमोदित है ।
6. यहकि हितग्राही अथवा उसके परिवार का कोई भी सदस्य त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्था में वर्तमान में पदाधिकारी नहीं है और न ही ग्राम पंचायत सचिव का सगा संबंधी है ।

दिनांक .....

सरपंच  
ग्राम पंचायत.....

सचिव  
ग्राम पंचायत.....

सहायक विकास विस्तार अधिकारी  
(मुख्यालय.....)